पावर ट्रांसमिषन कारपोरेषन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1210/मा0सं0एवं प्र0अनु0/पिटकुल/आई0आर0–2/8

दिनांक: 4 /09/2010

विषयः– दिनांक 07.09.2010 को एक दिवसीय टूलडाउन–पेनडाउन हड़ताल को न करने के सम्बन्ध में अपील।

श्री के0आर0 कश्यप,
प्रधान महामंत्री
उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ
देहरादून।

कृपया अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 23.08.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा दिनांक 07.09.2010 को एक दिन का टूलडाउन–पेनडाउन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है।

यह बहुत ही खेद का विषय है कि आप द्वारा ऐसे समय में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है जबकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति की मांगों को स्वीकार करते हुए बैठक का कार्यवृत्त जारी किया है। कार्यवृत्त की एक प्रति समन्वय समिति के पदाधिकारियों को भी उपलब्ध करायी गयी है एवं कार्यवृत्त के अनुसार कार्यालय आदेश शीघ्र ही निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ समन्वय समिति का एक घटक है तथा आप स्वयं सनन्वय समिति के मुख्य संयोजक है। यहां पर यह बात भी गौरतलब है कि विगत दिनों ऊर्जा निगम परिसर में हुई प्रबन्धन के साथ बैठक में समन्वय समिति के सभी घटकों के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि वे औद्योगिक शान्ति बनाये रखते हुए किसी भी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।

यह भी आप भली–भांति जानते है कि हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्य के सम्मानित उपभोक्ताओं को बाधा रहित विद्युत आपूर्ति निरन्तर प्रदान करनी है एवं वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा **"आवश्यक सेवा अधिनियम"** के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की हड़ताल/धरना/प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। अतः इस प्रकार हड़ताल पर जाना सर्वथा अनुचित है।

क्रमषः..............2

बिजली कर्मचारी संघ द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों के विषय पर धरना/प्रदर्शन/हड़ताल का नोटिस देना उचित नहीं है जबकि समन्वय समिति द्वारा उठाये गये मुद्दों पर कार्यालय आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित है। अतः ऐसे समय में राज्य की जनता एवं निगम का साथ न देकर किसी भी प्रकार की एक दिवसीय टूलडाउन/पेनडाउन हड़ताल पर जाना उचित नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने इस संगठन के धरना/प्रदर्शन के निर्णय को निरस्त करते हुए औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कि निगम के साथ–साथ राज्य की जनता को भी किसी प्रकार की अनावश्यक दिक्कतों एवं परेशानियों का सामना न करना पड़ें।

(ए0के0 जुयाल)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

पत्रांक: 1210 /मा0सं0एवं प्र0वि0/पिटकुल/आई0आर0–2/8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1 वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1 वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.........................।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल..............................।
6. कट फाइल।
7. Executive Engineer-IT, PTCUL - Kindly upload the same in PTCUL's website

(ए0के0 जुयाल)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

O/c